

बिहार सरकार
वित्त विभाग

का० आ० संख्या : ०२/अरा०स्था-१८-०१/२०२४-४४१

दि०/दिनांक-२१.१०.२०२६

—::कार्यालय आदेश::—

अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, २०२३ में निहित शर्तों के अधीन विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में विभाग के नियमित स्थापना में कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित कार्यालय परिचारी कोटि-II एवं कार्यालय परिचारी कोटि-III को बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के कनीय सचिवालय सहायक (गैर संवर्गीय) के पद का, विहित वेतनमान (वेतन स्तर-०२) सहित, कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है:-

क्र०	नाम	वर्तमान धारित पद	वर्तमान पदस्थापन/वरीयता क्रमांक
१	२	३	४
१.	मो० नईम	कार्यालय परिचारी कोटि-II (वेतन स्तर-३)	वित्त विभाग/ ९/२०२६
२.	श्री विनोद कुमार	कार्यालय परिचारी कोटि-II (वेतन स्तर-३)	वित्त विभाग/ १०/२०२६
३.	श्री राघवेन्द्र कुमार	कार्यालय परिचारी कोटि-II (वेतन स्तर-३)	वित्त विभाग/ १८/२०२६
४.	श्री गौरव कुमार	कार्यालय परिचारी कोटि-II (वेतन स्तर-३)	वित्त विभाग/ २०/२०२६
५.	श्री भूषण कुमार	कार्यालय परिचारी कोटि-II (वेतन स्तर-३)	वित्त विभाग/ २२/२०२६
६.	श्री आनन्द कुमार	कार्यालय परिचारी कोटि-II (वेतन स्तर-३)	वित्त विभाग/ २३/२०२६
७.	श्री सुरज कुमार	कार्यालय परिचारी कोटि-II (वेतन स्तर-३)	वित्त विभाग/ २८/२०२६
८.	श्री नरेश कुमार दास	कार्यालय परिचारी कोटि-III (वेतन स्तर-२)	वित्त विभाग/ ३०/२०२६
९.	श्री दिलीप कुमार ठाकुर	कार्यालय परिचारी कोटि-III (वेतन स्तर-२)	वित्त विभाग/ ३३/२०२६
१०.	श्री लक्ष्मी पासवान	कार्यालय परिचारी कोटि-III (वेतन स्तर-२)	वित्त विभाग/ ३४/२०२६
११.	श्री रंजय कुमार मिश्रा	कार्यालय परिचारी कोटि-III (वेतन स्तर-२)	वित्त विभाग/ ३८/२०२६
१२.	श्रीमती कविता कुमारी	कार्यालय परिचारी कोटि-III (वेतन स्तर-२)	वित्त विभाग/ ३९/२०२६
१३.	श्री प्रदीप कुमार सिंह	कार्यालय परिचारी कोटि-III (वेतन स्तर-२)	वित्त विभाग/ ४०/२०२६

२. उक्त तालिका के क्रम सं०-०२ पर अंकित श्री विनोद कुमार को इस शर्त के साथ कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है कि भविष्य में उनके शैक्षणिक प्रमाण-पत्र के सत्यापन के क्रम में यदि कोई त्रुटि/असत्यता परिलक्षित होती है, तो कार्यकारी प्रभार को निरस्त करते हुए नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी।

३. कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ उक्त पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा।

४. मौलिक नियमावली के नियम-२२(१).ए(१) के आलोक में आदेश निर्गमन की तिथि से एक माह के अन्दर उक्त कर्मियों द्वारा वेतन निर्धारण हेतु विकल्प का चयन अनुमान्य होगा।

5. नियमित प्रोन्नति की प्रक्रिया में अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत उच्चतर पद प्रभारित लोक सेवक किसी कारणवश प्रोन्नति प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे उच्चतर पद से उसके मूल पद पर वापस कर दिया जायेगा, यद्यपि उच्चतर पद के आधार पर प्राप्त की गयी वेतन-भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की वसूली उनसे नहीं की जायेगी।

6. कार्यकारी व्यवस्था की यह प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या-4880/2017 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य संबद्धवादों में पारित होने वाले अंतिम न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

7. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(ऋषिकेश)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : 02/अरा0स्था-18-01/2024..... वि0/पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/वरीय कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : 02/अरा0स्था-18-01/2024..... 9820..... वि0/पटना, दिनांक 21-10-2024

प्रतिलिपि :- माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव (संसाधन) के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त आयुक्त (लेखा)/संयुक्त आयुक्त, प्रभारी अराजपत्रित स्थापना/सिस्टम एनालिस्ट (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)/सभी संबंधित कर्मी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



21/10/26

सरकार के उप सचिव।